O/C

(स्थापित 9 जुलाई 1955)

श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया

S.M.M.TOWN P.G. COLLEGE, BALLIA-277001

(जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सम्बद्ध)

Accredited: 'B' grade by NAAC

दिनांक : 22-08-2026

छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक सूचना सत्र 2026–27

- छात्रवृत्ति फार्म ऑनलाइन करने एवं जमा करने की तिथि **Renewal** छात्र–छात्राएं 10–09–2026 से 15–10–2026 एवं **Fresh** छात्र–छात्राएं 16–09–2026 से 04–11–2026 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 02:00 बजे तक महाविद्यालय में छात्रवृत्ति काउटर पर जमा करें।
- छात्र–छात्राओं द्वारा भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन फार्म की हार्डकॉपी स्वप्रमाणित कर दो प्रति में जमा करना है जिसके साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है –

1) कॉलेज लॉगीन द्वारा निकाली गई प्रिंट तीन प्रति में।
2) एडमिशन फीस की रसीद।
3) पिता व माता का आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (सामान्य वर्ग को छोडकर)
5) आधार कार्ड की छायाप्रति।
6) खाता पास–बुक की छायाप्रति (जो आधार कार्ड से लिंक हो)।
7) हाई स्कूल का अंक–पत्र एवं प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8) विगत वर्ष उतीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण की छायाप्रति।
9) छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, न्युनतम बैलेंश बनायें रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर तीन माह में बैंक खाते में ट्राजेक्शन अवश्य करे।
10) सभी छात्र अपना आवेदन स्वयं भरें आनलाइन आवेदन पत्र के लिऐ पासवर्ड स्वयं सृजित करे। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे है तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाये एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वय समस्त प्रविष्टियों की जॉच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन फाइनल सबमिट करे।
11) छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लॉक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण–पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच ले
12) छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में **Renewal** ही करें, न कि **Fresh** आवेदन पत्र भरें।

संयोजक

प्राचार्य

O/C

(स्थापित 9 जुलाई 1955)

श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया

S.M.M.TOWN P.G. COLLEGE, BALLIA-277001

(जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सम्बद्ध)

Accredited: 'B' grade by NAAC

ांक : दिनांक : 22-08-2026

13) छात्र/छात्रायें स्वयं का ई-मेल आई.डी. व आधार नम्बर से लिंक स्वयं का मोबाइल नम्बर ही दें।

14) शिक्षण संस्था मे जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौपे। शिक्षण संस्थान मे स्वयं उपस्थित होकर बायोमैट्रिक कराने के उपरांत छात्रवृत्ति फार्म जमा करें एवं उसकी पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।

15) आय प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध मे शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति हेतु छात्र-छात्रा के पिता की आय, पिता के न होने की दशा मे माता की आय तथा माता/पिता दोनों के न होने की दशा मे संरक्षक अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा एवं विवाहीत छात्राएं पति का आय प्रमाण पत्र लगायें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 2,50,000 वार्षिक आय तक का आय एवं सामान्य/पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये 2,00,000 वार्षिक आय तक शासन द्वारा निर्धारित है।

- सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के रिजल्ट मे न्यूनतम प्राप्तांक 50% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के रिजल्ट मे न्यूनतम प्राप्तांक 33% से कम है तो उनका छात्रवृत्ति फॉर्म अग्रसारित (फारवर्ड) नहीं किया जाएगा।
- छात्रवृत्ति यूपी बोर्ड, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई., एन.आई.ओ.एस., संस्कृत एवं ए.एम.यू (अलीगढ़ मुस्लिम बोर्ड) से उत्तीर्ण छात्रों का ही आवेदन अग्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी बोर्ड (जैसे बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड आदि) से उत्तीर्ण छात्रों का आवेदन अग्रसारित नहीं किया जाएगा।
- 75% से अधिक उपस्थिति वाले छात्र ही छात्रवृत्ति की योजना से लाभान्वित होंगे।
- जिन छात्रों का डेटा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार त्रुटिपूर्ण/अपात्र/गलत होगा, उनका आवेदन किसी भी दशा मे अग्रसारित नहीं किया जाएगा।
- जिस छात्र-छात्राओं का प्रवेश के समय जो फीस जमा किया है उसकी रसीद में अंकित फीस ही छात्रवृत्ति फार्म मे ऑनलाइन में दर्ज करायें।
- जो छात्र-छात्राएं नियमित मे प्रवेश लिया है वह छात्रवृत्ति फार्म मे नियमित लिखें और जो छात्र-छात्राएं स्ववित्तपोषित में प्रवेश लिया है वें छात्रवृत्ति फार्म में स्ववित्तपोषित लिखें। अन्यथा की स्थिति में फार्म निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र-छात्राओं की होगी।

नोडल अधिकारी

प्राचार्य

प्राचार्य